

कार्यालय राजस्थान प्रतिकारत्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राज. जयपुर

क्रमांक: एक/14 ( )केम्पा/अप्रमुवना/लेखा/व.आ./2022-23/

दिनांक :

वजट आवंटन आदेश-2)

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-39 : Establishment, operation and maintenance of animal Rescue Centres/Rescue Wards and veterinary treatment facilities for wild animals a) Maintenance of Rescue Wards, (b) Maintenance of Rescue Wards in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts, (c) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals, (d) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार वजट मद में वजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2406-04-103-04-01-12  
2406- Forest & wildlife  
04- Afforestation and Ecology Development  
103- State Compensatory Afforestation (SCA)  
(04)- Net Present Value of Forest Land  
(01)- Compensatory Afforestation  
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

ABO Item No. 39 : Establishment, operation and maintenance of animal Rescue Centres/Rescue Wards and veterinary treatment facilities for wild animals a) Maintenance of Rescue Wards, (b) Maintenance of Rescue Wards in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts, (c) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals, (d) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	a) Maintenance of Rescue Wards (nos.)	Amount to be allotted @ 2.00	(b) Maintenance of Rescue Wards, (nos.)	Amount to be allotted @ 4.00	(c) Running and maintenance of Rescue Centres (nos.)	Amount to be allotted @2.00	(d) Running and maintenance of Rescue Centresn (nos.)	Amount to be allotted @4.00	Total Budget allotment (Rs. in lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उ.व.सं. अजमेर	1	2.00000	2	8.00000	1	2.00000	2	8.00000	16.00000
2	उ.व.सं. नागौर									
3	उ.व.सं. टोंक									
4	उ.व.सं. बीकानेर									
5	उ.व.सं. इ.गान.पति स्टेशन-1 बीकानेर									
6	उ.व.सं. बूरो									
7	उ.व.सं. हनुमानगढ़	3	6.00000			1	2.00000	1	4.00000	4.00000
8	उ.व.सं. श्री गंगानगर									
9	उ.व.सं. जसलमेर	2	4.00000			2	4.00000			4.00000
10	उ.व.सं. इ.गान.पति स्टेशन-11 जसलमेर	2	4.00000							4.00000
11	उ.व.सं. बाड़मेर /									
12	उ.व.सं. जोधपुर									
				14	56.00000			1	4.00000	60.00000

13	उ.व.सं. जातौर	1	2.00000				1	2.00000			4.00000
14	उ.व.स. पाली						2	4.00000			4.00000
15	उ.व.स. सिरोही						1	2.00000			2.00000
16	उ.व.सं. दौसा	1	2.00000								2.00000
17	उ.व.सं. सीकर						1	2.00000			2.00000
18	उ.व.सं. वारां						1	2.00000			2.00000
19	उ.व.सं. झालावाड़						1	2.00000			2.00000
20	उ.व.सं. बांसवाड़ा						1	2.00000			2.00000
21	उ.व.सं. प्रतापगढ़						1	2.00000			2.00000
22	उ.व.सं. एवं उ.क्षेत्र (प्रथम) रण. वाघ परि. सावाड़ मन्थपुर						1	2.00000			2.00000
23	उ.व.सं. एवं उ.क्षेत्र (द्वितीय) रण. वाघ परि. करौली						1	2.00000			2.00000
24	उ.व.सं. वन्य जीव जोधपुर					3		12.00000		2	8.00000
25	उ.व.सं. वन्य जीव जैसलमेर						1	2.00000			2.00000
26	उ.व.सं. वन्य जीव सारिका अलवर						1	2.00000			2.00000
27	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा						1	2.00000			2.00000
28	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर						2	4.00000			4.00000
29	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौड़गढ़	1	2.00000								2.00000
	कुल योग	11	22.00000	24	96.00000	23	46.00000	9	36.00000	200.00000	

### सामान्य शर्तें

- 1 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज. जयपुर के पत्र संख्या एफ.11(396)विकारा-ग/मुवजीप/2021-22/140 दिनांक 30.12.2021 की पालना सुनिश्चित की जाए।
- 2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14(एपीओ)/2022-23/कैम्पा/अप्रमुवस/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 3 उप वन संरक्षण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मर के अन्तर्गत आवंटित वजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/पथ जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 4 आवंटित वजट का व्यय कैम्पा Guidelines व Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाए।
- 5 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य करायया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित वजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 6 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी शर्ति का उपयोग समय नहीं हो तो शर्ति शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 7 आवंटित वजट की शर्ति का आदरण केवल तभी किया जावे जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 8 आवंटित शर्ति जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय शामिल नहीं किया जावे।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रावधान की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार कैम्पा का लेखा कंपॉर्ट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संशोधित करें। लेखा की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे सकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अद्योत्साहकरता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कार्या जा रहे कार्यों के सॉलरटर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी करायया जावे।
- 12 वजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 कैम्पा से आवंटित वजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।



- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राजा लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जायेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्वॉय विभागीय स्तर पर भौतिका में किया जाये एवं विभागीय प्रवर्तित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-लेखा रखा जायेगा।
- 15 कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यभारों की सूची मध्य GPS Coordinates के ई-पीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा योजना पिजवाना सुनिश्चित किया जाये।

(शिखा महारा)  
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 13/06/2022

क्रमांक: एक 14 ( )कैम्पा/अप्रमुख/लेखा/व.अ. /2022-23 / 4271-318  
प्रतिनिधि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव-सवाई माधोपुर/जोधपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/सरिस्का अलवर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करे एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवाये।
- 4 उप वन संरक्षक - अजमेर/नागौर/टीक/बीकानेर/इ.गा.न.परि. स्टेज-1 बीकानेर/चूरु/इन्मानगढ़/श्री गंगानगर/जैसलमेर/इ.गा.न.परि. स्टेज-1 जैसलमेर/बाडमेर / जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही/दौसा/सीकर/वारा/झालावाड़/बांसवाड़ा/प्रतापगढ़/उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (प्रथम) रण. बाघ परि. सवाई माधोपुर/उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (द्वितीय) रण. बाघ परि. करौली/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव जैसलमेर/वन्य जीव सरिस्का अलवर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर/वन्यजीव दिल्दीडगढ़।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय राजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय राजा।
- 7 सूचना सहायक कार्यालय राजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

(आशांशा जोशी)  
उप वन संरक्षक (कैम्पा)  
राजस्थान, जयपुर।